न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 15/2022 निर्णय दिनांक :– 20.01.2022

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. ईश्वरलाल पुत्र सोहनलाल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रिंकू पुत्री सोहनलाल जाति खटीक उम्र बालिग निवासी देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण **पेरोकार सरकार**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजी भूमि हाल खाता संख्या 1711 के ख0नं0 4951/3984 रकबा 0.0600 है0 गै0मु0 आबादी वाके ग्राम देवलीगांव पटवार हल्का देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0 में स्थित है। यह कि प्रार्थी संख्या 1 का नाम टिन्नू पुत्र सोहनलाल व प्रार्थीया संख्या 2 का नाम रमीला पुत्री सोहनलाल राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित कर दिया गया है जबकि वास्तविक नाम ईश्वरलाल व रिंकू है। प्रार्थीगण के अन्य सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र में प्रार्थीगण का नाम ईश्वरलाल व रिंकू अंकित है। प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेज में अलग–अलग होने से प्रार्थीगण को काफी परेशानी हो रही है तथा राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे है तथा ना ही ऋण प्राप्त कर पा रहे है। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम न्यायहित में दुरूस्त किया जाकर टिन्नू पुत्र सोहनलाल व रमीला पुत्री सोहन लाल की जगह ईश्वरलाल पुत्र सोहनलाल व रिंकू पुत्री सोहनलाल अंकित किया ज़ाना आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के अन्य सहखातेदारान के खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गयी है इस कारण उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली ने पटवार हल्का देवलीगांव व भू. अभि. निरीक्षक की रिपोर्ट सहित प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की अभिशंषा की।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण का घर में बोलते नाम से नामान्तकरण खोल दिया गया जिसके कारण प्रार्थीगण किसी भी सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। ।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की अभिशंषा की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी की बहस व पेरोकार सरकार की अभिशंषा पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2046 में नामान्तकरण संख्या 348 28.08.93 में सोहनलाल के फौत होने के बाद उसके वारिसान के नामान्तकरण में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का नाम कमशः टिन्नू व रसीला दर्ज रिकॉर्ड हुआ। नामान्तकरण पंजिका वाके ग्राम देवलीगांव के कॉलम नं. 9 में प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का नाम कमशः टीनू व रसीला दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 टिन्नू व रमीला के स्थान पर कमश ईश्वरलाल व रिंकू करवाना चाहता है। अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण ने आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वार्ड नं. 5 पार्षद कमला देवी सोनी का प्रमाण पत्र व प्रार्थीगण का नोटेरी पब्लिक से तस्दीक शपथ पत्र पेश किये है। उक्त व तहसीलदार देवली की अभिशंषा से स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा सहवन से प्रार्थीगण का नामान्तकरण घर पर बोलते नाम से खोल दिया जिसको दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाके ग्राम देवलीगांव जमाबन्दी सम्वत् 2074–77 के खाता संख्या 1711 के खसरा नम्बर 4951/3984 में दर्ज नाम टिन्नू व रमीला को विलोपित कर टिन्नू के स्थान पर ईश्वर लाल व रमीला के स्थान पर रिंकू दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली